न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 122/2021 **दायर दिनांकः 15/07/2021**

उनवान

1. आनन्दीलाल उम्र 40 वर्ष पुत्र केशरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद
2. रामहेतार उम्र 52 वर्ष पुत्र केशरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र उम्र 50 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद
2. मांगी बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बारां जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाक : 30/05/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 ,188 आर.टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पूर्वजों के शामलाती खाते की भूमि ग्राम सहरोद तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2053—2056 के मुताबिक खातेदार मथुरालाल, केशरीलाल पिता घांसीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद के खाते रिकार्ड में दर्ज थी। उनके स्वर्गवास होने के बाद में उक्त भूमि फौती इन्तकाल खुलके बंटवारा होकर खाता संख्या 456 व खाता संख्या खाता संख्या 484 में बंट गइ। खाता संख्या 484 का ख0नं0 1878/290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 388 का रकबा 1.03 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0. 55 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 7 का कुल रकबा 3.33 है0 आराजी वादीगण के खाते दर्ज है तथा खाता संख्या 456 का ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 385/1635 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 387 का रकबा 1.04

है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.08 है0 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। रिकार्ड में बंटवारे के वक्त बंटवारा तो हो गया, खाते अलग अलग हो गये। मगर मौके पर कब्जा वादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का पूर्व अनुसार ही आज तक मौके पर चला आ रहा है। वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को आज भी मौके पर गलत बैठे होने के बावजूद भी किसी पगकार की कोई दिक्कत नहीं हैं समझौते से आपस मे सब तरह का काम आपस में निपटा लिया मगर कई तरह के राजकार्य में एवं आने वाली पीढी में किसी तरह का लडाई झगडा नहीं हो इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने खाते एवं कब्जे की भूमि को रिकार्ड में सही दर्ज करवाना चाहते है। जिससे आने वाली पीढी में लडाई झगडा उत्पन्न नहीं हो। उक्त कार्य बिना सहायता न्यायालय संभव नहीं है। मौके पर आनन्दीलाल व रामहेतार जो इस केस में वादीगण है के कब्जे में ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 385/1635 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1878/290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में है तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के कब्जे में ख0नं0 387 का रकबा 1.04 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 388 का रकबा 1.03 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के कब्जे काश्त में है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त नम्बरों का मौके पर कब्जे अनुसार पुनः नये सिरे से बंटवारा कराकर अपने–अपने खाते दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण के खाता संख्या 284 में खातेदार कंचन बाई, पंसूरी बाई, राजी बाई ने अपना हकत्याग कर दिया है। इसलिए उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 30.06. 2021 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा आराजी कब्जे काश्त अनुसार खाते दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन हुआ। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर पक्षकारान ने बैंक से ऋण ले रखा है। इसलिए बैंक को प्रतिवादी क्रम 3 पक्षकार बनाया गया है। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 4 बनाय गया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क

पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः वादीगण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे किः—

(क) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू की आराजी कब्जे काश्त के अनुसार ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 385/1635 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1878/290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 भूमि वादीगण के तथा ख0नं0 387 का रकबा 1.04 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 388 का रकबा 1.03 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज की जावे।

(ख) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादीगण को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र का मद नं0 1 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 2 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 3 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 4 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 5 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 6 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 7 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 8 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 11 कानूनी है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 रामचन्द्र व प्रतिवादी क्रम 2 मांगी बाई इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन करते है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वाके ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू की आराजी कब्जे काश्त के अनुसार ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 385/1635 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1878/290 का रकबा 0.50 है0,

ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 भूमि वादीगण के तथा ख0नं0 387 का रकबा 1.04 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 388 का रकबा 1.03 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज की जावे। इसमें प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी क्रम 3 एच.डी.एफ.सी. बैंक की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र का मद नं0 में आराजी दर्ज होना स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 3 अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 4 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 5 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 11 कानूनी है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है।

विशेष कथन

वाद पत्र का मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर पक्षकारान द्वारा बैंक से ऋण लिया गया है। बैंक का ऋण अदा करने के बाद ही वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के आराजी खाते दर्ज की जावे। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 3 एच.डी.एफ.सी. बैंक की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि जब तक वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर लिऐ गये कृषि ऋण का भुगतान नहीं कर दे तब तक भूमि का स्वामित्व/टाईटल परिवर्तित नहीं किया जावे।

प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम सहरोद की खाता संख्या 456 की कुल किता 6 रकबा 2.08 है0 आराजी मांगीबाई पुत्री मथुरालाल तथा रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल के दर्ज खाता स्थित है और इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 3 के पास रहन दर्ज है। अभिभाषक वादीगण ने तर्क किया कि वादीगण द्वारा खाता संख्या 456 पर प्रतिवादी क्रम 3 एच.डी.एफ.सी. बैंक से लिया गया कृषि ऋण दिनांक 17.15.2022 को चुका दिया है। अपने कथन के समर्थन में एच.डी.एफ.सी. बैंक की दिनांक 17.05.2022 की जमा स्लिप संख्या 92 पेश की गई। खाता संख्या 484 की कुल किता 7 रकबा 3.33 है0 आराजी आनन्दीलाल, कंचनबाई, पन्सूरी, राजीबाई, रामहेतार पुत्र/पुत्री

केसरीलाल के शामलाती खाते दर्ज है। खाता संख्या 484 की कुल किता 7 रकबा 3.33 है0 आराजी में सहखातेदार कंचनबाई, पन्सूरी, राजीबाई पुत्रीयां केसरीलाल द्वारा आनन्दीलाल व रामहेतर पुत्रान केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र क्रमांक 202001336000713 से दिनांक 22.06.2022 को हक त्याग कर दिया है। वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी खाता संख्या 484 किसी भी बैंक के रहन या बंधक दर्ज नहीं है।

अतः इकबाली जवाब के आधार पर न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 385/1635 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1878/290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.24 है0 भूमि पर वादीगण आनन्दीलाल व रामहेतार पुत्रान केसरीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ख0नं0 387 का रकबा 1.04 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 388 का रकबा 1.03 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रामचन्द्र व मांगी बाई पुत्र/पुत्री मथुरालाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 122/2021

उनवान

1. आनन्दीलाल उम्र 40 वर्ष पुत्र केशरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद
2. रामहेतार उम्र 52 वर्ष पुत्र केशरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र उम्र 50 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद
2. मांगी बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बारां जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....ग..... रूबरू.....ग.....
बहाजिर :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 385/1635 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1878/290 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.24 है0 भूमि पर वादीगण आनन्दीलाल व रामहेतार पुत्रान केसरीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ख0नं0 387 का रकबा 1.04 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 388 का रकबा 1.03 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 है0 भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रामचन्द्र व मांगी बाई पुत्र/पुत्री मथुरालाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **30.05.2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)